रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] **नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आ"kk< 2, 1939**

No. 524] **NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939**

lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 23 जून] 2017

lk-dk-fu- 633(v)-&केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 40(अ), तारीख 17 जनवरी, 2017 द्वारा कतिपय प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 17 जनवरी, 2017 में प्रकाशित किए गये थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गये थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियॉ जनता को 17 जनवरी, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (नौवॉं संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 77 के उपनियम (1) के खंड (ii) में, ''पीली पृष्ठभूमि के साथ रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और नम्बर काले'' शब्दों के स्थान पर ''गहरी नीली पृष्ठभूमि के साथ रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और नम्बर पीले'' शब्द रखे जांएगे।

[फा. सं. आर.टी.–11036/45/2016–एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

fVIi.kh मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि.485(अ), तारीख 19.05.2017 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2017

G.S.R. 633(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 40(E), dated the 17th January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 17th January, 2017;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely :**—**

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2017.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**.** In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 77, in sub-rule (1), in clause (ii), for the words “with yellow background, the registration mark and the number being in black”, the words “with deep blue background, the registration mark and the number being in yellow” shall be substituted.

[No. RT-11036/45/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 485(E) dated 19.05.2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.27 22:02:13 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.